2025/141

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री गोविन्दसिंह
निवासी रीछडी, आदर्श डूंगरी
तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005   मुकदमा नं. 17 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.05.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 20.02.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम रीछडी पटवार हल्का आदर्श डूंगरी के खसरा संख्या 170 में से 4.15 बीघा भूमि तत्कालीन समय में श्री भंवरसिंह वल्द लखसिंह को आवंटित की गई थी, उक्त आवंटन किस विभागीय आदेश या राजस्व नियम की पालना में किया गया, उसकी प्रमाणित प्रति एवं खसरा संख्या 170/1 भू–नक्शे में कब तरमीम किया गया, इसकी प्रमाणित जानकारी एवं उपरोक्त खसरा संख्या के क्षेत्रफल 4.18 बीघा में से आवंटन के बाद क्षेत्रफल 0.03 बीघा ही शेष था, जो वर्तमान में 0.0379 हैक्टेयर कैसे हुआ, इसकी प्रमाणित जानकारी एवं खसरा संख्या 245/170 की तरमीम कब की गई और खसरा संख्या 170/1 क्षेत्रफल में बडा व खसरा संख्या 245/170 छोटा कैसे है, इसकी प्रमाणित जानकारी तथा वर्तमान में खसरा संख्या 170/1 में किस–किस के पक्के मकान बने हुए है और कितने क्षेत्रफल पर बने हुए है, इसकी प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 20.02.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम रीछडी पटवार हल्का आदर्श डूंगरी के खसरा संख्या 170 में से 4.15 बीघा भूमि तत्कालीन समय में श्री भंवरसिंह वल्द लखसिंह को आवंटित की गई थी, उक्त आवंटन किस विभागीय आदेश या राजस्व नियम की पालना में किया गया, उसकी प्रमाणित प्रति एवं खसरा संख्या 170/1 भू–नक्शे में कब तरमीम किया गया, इसकी प्रमाणित जानकारी एवं उपरोक्त खसरा संख्या के क्षेत्रफल 4.18 बीघा में से आवंटन के बाद क्षेत्रफल 0.03 बीघा ही शेष था, जो वर्तमान में 0.0379 हैक्टेयर कैसे हुआ, इसकी प्रमाणित जानकारी एवं खसरा संख्या 245/170 की तरमीम कब की गई और खसरा संख्या 170/1 क्षेत्रफल में बडा व खसरा संख्या 245/170 छोटा कैसे है, इसकी प्रमाणित जानकारी तथा वर्तमान में खसरा संख्या 170/1 में किस–किस के पक्के मकान बने हुए है और कितने क्षेत्रफल पर बने हुए है, इसकी प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई [illegible] अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अ[illegible]रिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/[illegible]/73 [illegible] 16.04.2025 के द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन [illegible] दिया गया था। अतः अपीलांट की अपील [illegible] सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट [illegible] चाही गई समस्त सूचना तत्[illegible] नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना निय[illegible] संभव नही हो तो स्पेसीफि[illegible] आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 18:00:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner